जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 748 दि. 26.08.16

आदेश

विषय:– सघन वसूली अभियान

प्राय: यह देखा गया है कि उपभोक्ता अपना विद्युत उपभोग का बिल समय पर जमा नहीं करवाते है तथा विद्युत संबंध विच्छेद के अभाव में निगम की बकाया राशि में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जून–2016 तक विभिन्न श्रेणी के चालू उपभोक्ताओं के विरूद्ध निगम का रू. 1221 करोड़ बकाया है। निगम की बढ़ती हुई बकाया राशि को देखते हुए निगम द्वारा सघन वसूली अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं:–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक उपखण्ड में सबसे अधिक बकाया राशि वाले कम से कम 5 गांवों को चिन्हित किया जावें।
2. चिन्हित गांवों में सम्भवत: माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार अथवा अन्य सुविधाजनक दिवस को वसूली कैम्प का आयोजन किया जावें।
3. कैम्प के दौरान गांव में प्रत्येक बकाया राशि वाले उपभोक्ता से व्यक्तिगत सम्पर्क करके उसे बकाया राशि जमा करने के लिये प्रोत्साहित किया जावें।
4. किसी उपभोक्ता द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर कैम्प के अंत में 15 दिन का कनेक्शन विच्छेद हेतु नोटिस दिया जावें।
5. उपखण्ड अधिकारी अभियान के दौरान Current Assessment शत प्रतिशत एवं पूर्व बकाया राशि का कम से कम 25 प्रतिशत वसूल करना सुनिश्चित करें।
6. यह अभियान प्रतिमाह कम से कम 5 गांव चिन्हित कर आयोजित किया जावें।
7. शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक उपखण्ड में सर्वाधिक बकाया वाले क्षेत्र (Locality) का चयन करके बिन्दु संख्या 2 से 6 में वर्णित कार्यवाही की जावे।

अभियान चालू करने से पूर्व ही उपरोक्त वसूली अभियान का गाँववार/क्षेत्रवार विवरण मय कैम्प दिनांक के समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे एवं अभियान की सफलता के लिये जन–प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर उनका सहयोग भी लिया जावे।

अभियान के दौरान लगाये गये कैम्प की उपखण्डवार पाक्षिक सूचना जोनल मुख्य अभियंता संकलित कर अधीक्षण अभियंता (पीपीएंडएम), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से

(अशोक माथुर)
अधीक्षण अभियंता (आर.ए. एंड सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

- निदेशक (वित्त), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- निदेशक (तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर ।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता(जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर संभाग),जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर/बाड़मेर।
- मुख्य लेखाधिकारी, ( ) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- प्रावे. सहा. अध्यक्ष, डिस्कॉम्स, जयपुर को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
- प्रावे. सहा. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर/अजमेर/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
- कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/पवस/टर्न–की/पीपीएम/एम.एण्डपी/बी.एफ.एल./एमएम एवं सी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरू/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/जैसलमेर/सिरोही।
- अधीक्षण अभियंता (आईटी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर कृपया यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइड पर प्रदर्शित करें।
- सहायक अधिकारी, Ombudsman, विद्युत विनियामक भवन, सहकार मार्ग, स्टेट मोटर गैराज के पास, जयपुर, को Ombudsman के अवलोकनार्थ।
- अति. पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर (आपके अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु) ।
- वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (नगर/जिला/पवस/एम.एम.अंकेक्षण/वाणिज्य/सीपीसी एंव रोकड़) जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/जालोर/बाड़मेर/चूरू/बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़।
- प्राविधिक मुख्य अभियन्ता (पी.सी.–सी.एण्ड पी.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- अधिशाषी अभियन्ता ( ), जोधपुर डिस्कॉम,..............................(आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं, लेखाकार को उपलब्ध कराने हेतु।
- जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।

अधीक्षण अभियंता (आर.ए. एंड सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर